भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1110
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना के बजटीय प्रावधान

1110. श्री हरीश चन्द्र मीना :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायिक अवसंरचना, न्यायालयों के डिजिटलीकरण और मानव संसाधन विकास के लिए केंद्रीय बजट 2026 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए वर्तमान बजटीय प्रावधान पर्याप्त हैं ;

(ग) राजस्थान के न्यायालयों, विशेष रूप से टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और अदालती कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना विक्स प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन, न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय बजट 2026 में 810 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही ई- न्यायालय परियोजना चरण-3 के लिए केंद्रीय बजट 2026 में 1200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। अनुमोदित परिव्यय और धन की उपलब्धता के

आधार पर इन स्कीमों के अधीन पर्याप्त बजटीय उपबंध किए गए हैं। तथापि, मामलों का तेजी से निपटान मामले की जटिलता, जांच की गुणवत्ता, सुसंगत साक्ष्यों की उपलब्धता और अधिवक्ताओं द्वारा उनकी प्रस्तुति, न्यायालय प्रक्रियाओं की समय पर डिलीवरी, पार्टियों की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक प्रक्रियाएं आदि सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) : राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
न्यायाधीश	50	39	11
न्यायिक अधिकारी	1722	1517	205
न्यायालय कर्मचारी	18832	11226	7606

इसके अतिरिक्त, टोंक और सवाई माधोपुर न्यायाधीश के अधीन न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
टोंक जजशिप			
न्यायिक अधिकारी	30	29	01
न्यायालय कर्मचारी	412	247	165
सवाई माधोपुर जजशिप			
न्यायिक अधिकारी	25	24	01
न्यायालय कर्मचारी	321	194	127

(घ) : टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार और न्यायपालिका के समन्वय में कई उपाय किए हैं। न्यायालय के अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुकदमे से पहले विधिक सलाह प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रो (सीएससी) के माध्यम से टेली-लॉ सेवाएं उपलब्ध हैं। ई- न्यायालय परियोजना के अधीन, ई-फाइलिंग, ई-पे, वर्चुअल न्यायालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) जैसी डिजिटल सेवाएं लागू की गई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाती है। विवादों के त्वरित समाधान के लिए लोक अदालतों और मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
